रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2013/आश्विन 2, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 140

No. 155] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2013/ASVINA 2, 1935 [N.C.T.D. No. 140

भाग—IV

PART—IV

620/PO/BSUP
22/10/13

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 सितम्बर, 2013

सं. एफ 3(11)/वित्त (क0 एवं स्थाप0)/2009–10/डीएस VI/791.—दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 अधिनियम के साथ पठित दिल्ली मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप राज्यपाल, मूल्य सवंर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात् :–

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार की तिथि	पदनाम
	श्री/श्रीमती/कु0		
1	श्री कुणाल, आइएएस	02.08.2013	अतिरिक्त आयुक्त मूल्य संवर्धित कर
2	श्री ए.के. सिंह, दानिक्स	14.08.2013	अतिरिक्त आयुक्त मूल्य संवर्धित कर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के नाम तथा उनके आदेश पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव VI (वित्त)

37/81 (BSUP)
22/10/2013

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th September, 2013

No.F.3(11)/Fin(T & E)/2009-10/dsVI/791.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

S.No.	Name of the Officer Sh./Smt./Ms.	Date of physical joining in DT and T	Appointed as
01.	Sh. Kunal, IAS	02.08.2013	Addl. Commissioner, Value Added Tax
02.	Sh. A.K. Singh, DA NICS	14.08.2013	Addl. Commissioner, Value Added Tax

By order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)

(गृह–I) पुलिस / स्थापना विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 24 सितम्बर, 2013

सं.फा.13 / 17 / 2002 / गृ.पु.–I / स्था0 / 3445 से 3448.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा0 24 / 78 / 68—डीएस (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात्, पुलिस रेडियों अधिकारी / पुलिस उपायुक्त / संचार के पद के लिये दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1988 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(i) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जायेगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम में संशोधन.**—दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1988 में दिल्ली पुलिस में पुलिस रेडियो अधिकारी / पुउिपायुक्त / संचार के पद के भर्ती नियम, अनुसूची में :—

(क) कॉलम संख्या—1 के सामने 'पद का नाम' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

" पुलिस रेडियो अधिकारी / पुलिस उपायुक्त / संचार";

(ख) कॉलम संख्या—2 के सामने 'पद संख्या' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"01* (2013)

*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है";

(ग) कॉलम संख्या—3 के सामने 'वर्गीकरण' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

" सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह—क राजपत्रित, अलिपिकीय";

(घ) कॉलम संख्या—4 के सामने 'पे बैंड, ग्रेड पे / वेतनमान' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"पे बैंड–3, 15600–39100 रुपये (ग्रेड पे 6600 रुपये)

(I) पे बैंड–3 में 15600–39100 रुपये+ग्रेड पे 7600 रुपये

(सतर्कता एवं निष्ठा की अनुमति के अधीन नियमित आधार पर इस नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड पे 4800 रुपये, 5400 रुपये तथा 6600 रुपये में कुल मिलाकर की गई तेरह (13) वर्षों की सेवा पूरी होने की तिथि से यह पे बैंड–3 के इस गैर प्रकार्यात्मक वेतनमान के लिए ग्राहय है)

(II) पे बैंड–4 में 37400–67000+ग्रेड पे 8700 रुपये

(सतर्कता एवं निष्ठा की अनुमति के अधीन नियमित आधार पर इस नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड पे 4800 रुपये, 5400 रुपये, 6600 रुपये तथा 7600 रुपये में कुल मिलाकर की गई अठ्ठारह (18) वर्षों की सेवा पूरी होने की तिथि से यह पे बैंड–4 के इस गैर प्रकार्यात्मक वेतनमान के लिए ग्राहय है)

(ङ) कॉलम संख्या–5 के सामने 'क्या पद चयन अथवा गैर चयन है' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"चयन";

(च) कॉलम संख्या–6 के सामने 'सीधी भर्ती वालों के लिये आयु सीमा' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"लागू नहीं";

(छ) कॉलम संख्या–7 के सामने 'सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :–

"लागू नहीं";

(ज) कॉलम संख्या–8 के सामने 'क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"लागू नहीं";

(झ) कॉलम संख्या–9 के सामने 'परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"एक वर्ष";

(ञ) कॉलम संख्या–10 के सामने 'भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ";

(ट) कॉलम संख्या–11 के सामने 'यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"पदोन्नति";

मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित पे बैंड–2 में 4800 रुपये के ग्रेड पे सहित 9300–34800 रुपये के वेतनमान में सहायक आयुक्त पुलिस/संचार में से।

टीप 1:– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

टीप 2:– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी :–

क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

(2) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–3 में 15600–39100 रू0+ग्रेड पे 5400 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित अथवा समकक्ष; तथा

ख. रेडियों दूरसंचार संगठन में सात वर्षीय अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में उपाधि रखने वाले :

भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है । सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।

टीपः प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।

(ठ) कॉलम संख्या–12 के सामने 'यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिये)

विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग–अध्यक्ष

2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार– सदस्य

3. प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य

4. आयुक्त, दिल्ली पुलिस – सदस्य

(ड) कॉलम संख्या–13 के सामने 'वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाता है' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है";

(HOME-I) POLICE/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 24th September, 2013

No. 13/17/2002/HP-I/Estt./ 3445 to 3448.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 24/78/68-DS (S) dated 24th September, 1968, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, New Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1988, for the post of Police Radio Officer/Deputy Commissioner of Police/Communication, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of the rules.— In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1988 in Recruitment Rules for the post of Police Radio Officer/Deputy Commissioner of Police/Communication, in Delhi Police, in the schedule :—

(a) for the entry against column 1, relating to the 'Name of the post', the following entry shall be substituted, namely:-

"Police Radio Officer/Deputy Commissioner of Police/Communication.";

(b) for the entry against column 2, relating to the 'No. of post', the following entry shall be substituted, namely :—

"1* (2013)"

*Subject to variation dependent on workload.

(c) for the entry against column 3, relating to the 'Classification', the following entry shall be substituted, namely:-

"GCS Group-A Gazetted, Non-Ministerial.";

(d) for the entry against column 4, relating to the 'Pay Band & Grade Pay/Pay Scale', the following entry shall be substituted, namely :—

"PB -3 Rs. 15600-39100 (Grade Pay Rs. 6600)

(I) Rs. 15,600-39,100 + Grade Pay Rs. 7,600 in PB-3

(This Non-Functional pay scale of PB-3 is admissible with effect from the date of completion of thrteen years service in the Grade pay of Rs. 4800, Rs. 5400 and Rs. 6600 counted together rendered after appointment thereto on regular basis subject to Vigilance and Integrity Clearance).

(II) Rs. 37,400-67,000 + Grade Pay Rs. 8,700 in PB-4

(This Non-Functional pay scale in PB-4 is admissible with effect from the date of completion of eighteen years service in the grade pay of Rs. 4800 and Rs. 5400 Rs. 6600 and Rs. 7600 counted together rendered after appointment thereto on regular basis subject to Vigilance and Integrity Clearance).

(e) for the entry against column 5, relating to the 'Whether selection or non-Selection post', the following entry shall be substituted, namely:—

"Selection".;

(f) for the entry against column 6, relating to the 'Age limit for direct recruits, the following entry shall be substituted, namely:—

"N.A.";

(g) for the entry against column 7, relating to the 'Educational and other qualification required for direct recruits, the following entry shall be substituted, namely:—

"Not Applicable";

(h) for the entry against column 8, relating to the 'Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promottees, the following entry shall be substituted, namely:—

"N.A.";

(i) for the entry against column 9, relating to the 'Period of probation, if any, the following entry shall be substituted, namely:—

"1 year.";

(j) for the entry against column 10, relating to the 'Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods, the following entry shall be substituted, namely:—

"By promotion failing which by deputation.";

(k) for the entry against column 11, relating to the 'In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made, the following entry shall be substituted, namely:—

"**Promotion :**

Assistant Commissioner of Police/Communication in the scale of pay of Rs. 9300-34800 with Grade pay of Rs. 4800 in PB-2 with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/department.

Note : 1 Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note : 2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has beene xtended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

Deputation :

From amongst the officers under the Central/State Governments/ Union Territories.

A. (I) Holding analogous posts on a regular basis; Or

(II) With five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/department in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100+Grade Pay Rs. 5400 in PB-3 Or equivalent; and

B. Possessing degree in Electronics & Communication Engineering from a recognized university with 07 years experience in a Radio Telecommunication Organization.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadere post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC Recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except were there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.";

(l) for the entry against column 12, relating to the 'If a DPC exists what is its composition, the following entry shall be substituted, namely:—

"Group A D.P.C. for Promotion)

The composition of the D.P.C. :

1. Chairman/Member of UPSC —Chairman.
2. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi—Member.
3. Principal Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi—Member.
4. Commissioner of Police, Delhi—Member.";

(m) for the entry against column 13, relating to the 'Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment, the following entry shall be substituted, namely:-

"Consultation with U.P.S.C. Necessary";

सं.फा.13/3/2004/गृ.पु.—I/स्था./3449 से 3452.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या फा. 24/78/68—डीएस (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात्, सहायक पुलिस आयुक्त/संचार के पद के लिये दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1988 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :– **(i)** इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली–2013 कहा जायेगा।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम में संशोधन** :–दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1988 में दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त/संचार के पद के भर्ती नियम, अनुसूची में :

(क) कॉलम संख्या–1 के सामने 'पद का नाम' से संबंधित-प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"सहायक पुलिस आयुक्त/संचार";

(ख) कॉलम संख्या–2 के सामने 'पद संख्या' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"03* (2013)

*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है";

(ग) कॉलम संख्या–3 के सामने 'वर्गीकरण' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह–ख राजपत्रित, अलिपिकीय";

(घ) कॉलम संख्या–4 के सामने 'पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"पे बैंड–2 में 9300–34800 रुपये (ग्रेड पे 4800 रुपये)

(I) पे बैंड–3 में 15600- 39100 रुपये ग्रेड पे 5400 रुपये सहित

(सतर्कता एवं निष्ठा की अनुमति के अधीन नियमित आधार पर इस नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में की गई चार वर्ष की सेवा पूरी होने की तिथि से यह पे बैंड–3 के इस गैर प्रकार्यात्मक वेतनमान के लिए ग्राहय है)

(II) पे बैंड–3 में 15600–39100 रुपये ग्रेड पे 6600 रुपये सहित

(सतर्कता एवं निष्ठा की अनुमति के अधीन नियमित आधार पर इस नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड पे 4800 रुपये तथा 5400 रुपये में कुल मिलाकर की गई आठ वर्ष की सेवा पूरी होने की तिथि से यह पे बैंड–3 के इस गैर प्रकार्यात्मक वेतनमान के लिए ग्राहय है)

(III) पे बैंड–3 में 15600- 39100 रुपये ग्रेड पे 7600 रुपये सहित

(सतर्कता एवं निष्ठा की अनुमति के अधीन नियमित आधार पर इस नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड पे 4800 रुपये, 5400 रुपये तथा 6600 रुपये में कुल मिलाकर की गई तेरह वर्षों की सेवा पूरी होने की तिथि से यह पे बैंड–3 के इस गैर प्रकार्यात्मक वेतनमान के लिए ग्राहय है)

टीप :– जिन सहायक पुलिस आयुक्तों (संचार) को 5400 रुपये, 6600 रुपये तथा 7600 रुपये के ग्रेड पे में गैर प्रकार्यात्मक वेतनमान दिये गये हैं वे समूह–ख राजपत्रित, अलिपिकीय में बने रहेंगे तथा पदोन्नति के लिये उनकी पात्रता यदि कोई हो तो 4800 रुपये, 5400 रुपये, 6600 रुपये तथा 7600 रुपये के ग्रेड वेतन में की गई सेवा को मिलाकर कुल अवधि के आधार पर ज्ञात की जाएगी।

(ङ) कॉलम संख्या–5 के सामने 'क्या पद चयन अथवा गैर चयन है' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"चयन";

(च) कॉलम संख्या–6 के सामने 'सीधी भर्ती वालों के लिये आयु सीमा' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"30 वर्ष से अधिक नहीं";

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)

टीप :–आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

(छ) कॉलम संख्या–7 के सामने 'सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :–

" अनिवार्य";

(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रॉनिक एवं संचार/दूरसंचार अभियांत्रिकी में उपाधि।

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से दूरसंचार एक विशेष विषय सहित इलैक्ट्रीकल अभियांत्रिकी में उपाधि।

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में उपाधि।

अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से दूरसंचार एक विषय सहित भौतिकी/इलैक्ट्रॉनिक्स में स्नातकोत्तर उपाधि।

(II) दूरसंचार/सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

टीप–1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

टीप–2 : यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है";

(ज) कॉलम संख्या–8 के सामने 'क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"नहीं";

(झ) कॉलम संख्या–9 के सामने 'परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"दो वर्ष";

(ञ) कॉलम संख्या–10 के सामने 'भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ";

(ट) कॉलम संख्या–11 के सामने 'यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"पदोन्नति";

मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित पे बैंड–2 में 4600 रुपये के ग्रेड पे सहित 9300–34800 रुपये के वेतनमान में निरीक्षक (संचार) (प्रचालन)/निरीक्षक (संचार) (तकनीकी) में से।

टीप 1 :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।

टीप 2 :– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणन के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित अधिकारी :-

क. (1) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा

(2) मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड–2 में 9300–34800 रू.+ग्रेड पे 4600 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में दो वर्ष की सेवा सहित अथवा समकक्ष; तथा

ख. कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।

टीप 1 : भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है । सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन 56 वर्षों से अधिक नहीं होंगी।

टीप : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित है जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है"।

(ठ) कॉलम संख्या–12 के सामने 'यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति तथा समूह ख विभागीय स्थायीकरण समिति :-

1. प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव (सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –सदस्य
3. संयुक्त आयुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस सदस्य

(ड) कॉलम संख्या–13 के सामने 'वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है' से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"सीधी भर्ती द्वारा तथा प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है";

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जी. पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव

No. F. 13/3/2004/HP-I/Estt./3449 to 3452.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F. 24/78/68-DS (S) dated 24th September, 1968, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, New Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1988, relating to the post of Assistant Commissioner of Police /Communication, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

4119 DG/13-3

2. Amendment of the rules.— In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1988 in Recruitment Rules for the post of Assistant Commissioner of Police/Communication, in Delhi Police, in the schedule :-

(a) for the entry against column 1, relating to the 'Name of the post', the following entry shall be substituted, namely:—

"Assistant Commissioner of Police/Communication.";

(b) for the entry against column 2, relating to the 'No. of post', the following entry shall be substituted, namely:—

"3* (2013)"

*Subject to variation dependent on workload.

(c) for the entry against column 3, relating to the 'Classification', the following entry shall be substituted, namely:-

"GCS Group-B Gazetted, Non-Ministerial.";

(d) for the entry against column 4, relating to the 'Pay Band & Grade Pay/Pay Scale', the following entry shall be substituted, namely:-

"PB -2 Rs. 9300—34800 (Grade Pay Rs. 4800)

(I) Rs. 15,600—39,100 with Grade Pay Rs. 5,400 in PB-3

(This Non-Functional pay scale of PB-3 is admissible with effect from the date of completion of four years service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis subject to Vigilance and Integrity Clearance).

(II) Rs. 15,600—39,100 with Grade pay Rs. 6,600 in PB-3

(This Non-Functional pay scale in PB-3 is admissible with effect from the date of completion of eight years service in the grade pay of Rs. 4800 and Rs. 5400 counted together rendered after appointment thereto on regular basis subject to Vigilance and Integrity Clearance).

(III) Rs.15,600—39,100 with Grade Pay Rs. 7,600 in PB-3

(This Non-Functional pay scale in PB-3 is admissible with effect from the date of completion of thirteen years service in the grade pay of Rs. 4800, Rs. 5400, and Rs. 6600 counted together rendered after appointment thereto on regular basis subject to Vigilance and Integrity Clearance).

Note:- Assistant Commissioner of Police (Communication) who are granted these Non-Functional pay scales in the grade pay of Rs. 5400, Rs. 6600 and Rs. 7600 will continue to remain in Group-'B' Gazetted, Non-Ministerial and their eligibility for promotion, if any, will be reckoned on the basis of total period of service spent in the grade pay of Rs. 4800, Rs. 5400, Rs. 6600 and 7600 counted altogether. ";

(e) for the entry against column 5, relating to the 'Whether selection or non-Selection post', the following entry shall be substituted, namely:—

"Selection".;

(f) for the entry against column 6, relating to the 'Age limit for direct recruits, the following entry shall be substituted, namely:—

"Not exceeding 30 years.

(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Megalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).";

(g) for the entry against column 7, relating to the 'Educational and other qualification required for direct recruits, the following entry shall be substituted, namely:-

"Essential:

(I) Degree in Electronic & Communication/Telecommunication Engineering of a recognized University.

OR

Degree of a recognized University in Electrical Engineering with Telecommunication as a special subject.

OR

Degree in Information Technology /Computer Engineering from a recognized University.

OR

Master's degree in Physics/Electronics from a recognized University with Telecommunication as a special subject.

(II) 2 years experience in the field of Telecommunication /Information Technology.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification regarding experience is relxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to scheduled castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.";

(h) for the entry against column 8, relating to the 'Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees, the following entry shall be substituted, namely:-

" No.";

(i) for the entry against column 9, relating to the 'Period of probation, if any, the following entry shall be substituted, namely:—

"2 years.";

(j) for the entry against column 10, relating to the 'Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods, the following entry shall be substituted, namely:-

"By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.";

(k) for the entry against column 11, relating to the 'In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made, the following entry shall be substituted, namely:-

"Promotion:

Inspectors (Communication) (Operational)/Inspectors (Communication) (Technical) in the scale of pay of Rs. 9300-34800 with Grade pay of Rs. 4600 in PB-2 with 2 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/department.

Note:1 Where juniors who have completed their qualifying /eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service.

Note:2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

Deputation :

From amongst the officers under the Central/State Governments/ Union Territories :—

A. (I) Holding analogous posts on a regular basis; OR

(II) With two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre/department in the scale of pay of Rs. 9300–34800+Grade Pay Rs. 4600 in PB-2 Or equivalent; and

B. Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column No.7.

Note : 1- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC Recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except were there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.";

(l) for the entry against column 12, relating to the 'If a DPC exists what is its composition, the following entry shall be substituted, namely:-

"Group B DPC for Promotion and Gr-B Departmental Confirmation Committee:-

1. Principal Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi -Chairman.
2. Principal Secretary (Services), Govt. of NCT of Delhi -Member.
3. Joint Commissioner of Police (HQ), Delhi Police -Member.";

(m) for the entry against column 13, relating to the 'Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment, the following entry shall be substituted, namely:-

"Consultation with UPSC necessary while making direct recruitment and filling the post by deputation.";

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

G. P. SINGH, Addl. Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 सितम्बर, 2013

सं. फा. 14(1)/एलए–2013/cons2law/110-124.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप–राज्यपाल की सहमति दिनांक 19 सितम्बर, 2013 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :–

"दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013

(2013 का दिल्ली अधिनियम 08)

(29 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[19 सितम्बर, 2013]

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 को पुनः संशोधित करने के लिए एक अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** .– (1) यह अधिनियम दिल्ली शहरी आश्रय (सेल्टर) सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में नियत अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

2. **धारा 3 का संशोधन** :– दिल्ली शहरी आश्रय (सेल्टर) सुधार बोर्ड विधेयक, 2010 की धारा 3 की उप धारा (4) में,

(क) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(iv) उत्तर दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम एवं पूर्व दिल्ली नगर निगम प्रत्येक में से एक सदस्य संबंधित मेयर द्वारा नामित किया जायेगा।";

(ख) खंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(vi) निदेशक, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पदेन।"

डॉ. सौरभ कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 24th September, 2013

No. F.14(1)/LA-2013/cons2law/110-124—.The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 19th September, 2013 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD (AMENDMENT) ACT, 2013

(DELHI ACT 08 OF 2013)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 29th August, 2013)

[19th September, 2013]

An Act to amend the Delhi Urban Shelter Board Act, 2010

BE it enacted in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi

In the Sixty fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement**.- (1) This Act may be called the Delhi Urban Shelter Improvement Board (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette appoint.

2. **Amendment of section 3**. - In the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010, section 3, in sub-section (4),

(a) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iv) one Member each from North Municipal Corporation of Delhi, South Municipal Corporation of Delhi and East Municipal Corporation of Delhi to be nominated by the respective Mayor.";

(b) for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely:-

"(vi) the Director of Local Bodies, Government of National Capital Territory of Delhi, ex-officio.".

Dr. SAURABH KULSHRESHTHA, Addl. Secy.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 सितम्बर, 2013

सं. एफ16/1/शा.वि./दि.ज.बो./2000–2001/2012**(Pt. File)/555.**—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम संख्या 4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री बी. एम. धौल, सदस्य (जल वितरण) दिल्ली जल बोर्ड में, जिसका गठन दिल्ली सरकार की अधिसूचना सं. एफ 16/1/शा.वि./दि.ज.बो./98–99/4199, दिनांक 06.04.98 के तहत किया गया था, उक्त अधिनियम की धारा (3) की उप–धारा 2 के खण्ड **(VII)** के अन्तर्गत दिनांक 24.01.2014 से सेवा निवृत्ति तक के लिए सदस्य (जल वितरण) का कार्यकाल बढ़ाया जाता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के नाम तथा आदेशों से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th September, 2013

F. No. (16)/(1)/UD/W/2000-2001/Part File/555.—in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act 4 of 1998), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to extend the term of Sh. B.M. Dhaul, Member (Water Supply) for a further period from 24-01-2014 to his superannuation in the Delhi Water Board, Delhi constituted vide this Government's Notification No. F.16(1)/UD/DWB/98-99/4199 dated 6th April, 1998 under clause (7) of sub-section (2) of section 3 of the said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

R.K. SRIVASTAVA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.